उत्तर प्रदेश शासन,
ग्राम्य विकास अनुभाग–5
संख्याः–2664 / अड़तीस–5–2013–50सम / 2008(टी0सी0– I)
लखनऊः दिनॉक 11 नवम्बर, 2013

कार्यालय ज्ञाप

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यकम के दिशा–निर्देशों के अनुसार पेयजल परियोजनाओं के नियोजन एवं डिजाइन करने में सहायता प्रदान करने हेतु ख्याति प्राप्त तकनीकी संस्थानों को राज्य तकनीकी एजेन्सी (एस0टी0ए0) के रूप में नामित किये जाने का प्राविधान है। प्रदेश में वर्तमान समय में निम्न 05 तकनीकी शिक्षण संस्थानों को ग्रामीण पेयजल के क्षेत्र में राज्य तकनीकी एजेन्सी (एस0टी0ए0) घोषित किया गया हैः–

1- मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद।
2- आई0आई0टी0 (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी।
3- मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर।
4- जाकिर हुसैन कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
5- बुन्देलखण्ड इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालौजी, झॉसी।

2– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यकम के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत सूचीबद्ध / अधिकृत राज्य तकनीकी संस्थानों का मूल कार्य शिक्षण एवं शोध होने के कारण अत्यधिक व्यस्तता एवं परियोजनाओं के अनुमोदन में अत्यधिक समय लगने के दृष्टिगत एवं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के डी0पी0आर0 की तैयारी सम्बन्धी मैनुअल के अनुसार रू0 5.00 करोड़ तक के पाइप पेयजल योजनाओं / चैकडैमों के डी0पी0आर0 के परीक्षण हेतु तकनीकी समिति के गठन एतद्द्वारा निम्नानुसार किया जाता हैः–

क0	सदस्य का नाम / पदनाम / विभाग	समिति के पद
1.	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ	अध्यक्ष
2.	मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ	उपाध्यक्ष
3.	मुख्य अभियन्ता (वि0 / यां0) उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ	सदस्य
4.	यूनिट को–आर्डिनेटर (तकनीकी) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ	सदस्य
5.	विभागाध्यक्ष, सिविल अभियान्त्रिकी विभाग, आई0ई0टी0 लखनऊ के प्रतिनिधि	सदस्य
6.	निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य
7.	प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0, लखनऊ	विशेष आमंत्री
8.	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पो0 लि0, लखनऊ	विशेष आमंत्री
9.	मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ।	विशेष आमंत्री
10	मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय) उ0प्र0 जल निगम	विशेष आमंत्री
11	अधीक्षण अभियन्ता (ग्रामीण–1) उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ	सदस्य / सचिव

3– उक्त के अतिरिक्त जिन कार्यदायी संस्थाओं की योजनाएँ स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी उन संस्थाओं के प्रबन्ध निदेशक / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता समिति के विशेष आमंत्री सदस्य होंगे।

4– पाइप पेयजल योजनाओं एवं चेकडैम की डी0पी0आर0 प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर उक्त तकनीकी समिति यथावश्यक तकनीकी परीक्षण करते हुए स्वीकृति प्रदान करेगी। एस0एल0एस0एस0सी0 यदि उचित समझे तो किसी भी योजना का परीक्षण एस0टी0ए0 से करा

सकती है। रू0 5.00 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं एवं सरफेस वाटर की योजनाओं का परीक्षण पूर्व की भॉति सम्बन्धित एस0टी0ए0 द्वारा किया जायेगा।

5— उपरोक्त गठित तकनीकी समिति को सहयोग प्रदान करने हेतु 03 सेवानिवृत अनुभवी तकनीकी अधिकारियों को अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त किया जायेगा, जो अधिकतम 01 वर्ष के लिए होगा। तकनीकी अधिकारियों को सहायता प्रदान करने हेतु 01 डाटा इन्ट्री आपरेटर सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से नियुक्त किया जायेगा। उपरोक्त के वेतन/मानदेय आदि का वहन एन0आर0डी0डब्लू0पी0 के सपोर्ट मद से किया जायेगा।

दिनेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0, लखनऊ।
4- संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पो0 लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, जवाहर भवन भवन, लखनऊ।
7- महाप्रबन्धक, जल संस्थान, झॉसी मण्डल, झॉसी।
8- महाप्रबन्धक, जल संस्थान, चित्रकूटधाम मण्डल, बॉदा।
9- मोतीलाल राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद।
10- आई0आई0टी0 (वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी।
11- मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर।
12- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
13- बुन्देलखण्ड इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालौजी, झॉसी।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
अनु सचिव